क्रम-संख्या–254

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/kk;h ifjf'k"V
Hkkx–1] [k.M ¼d½
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] eaxyokj] 13 fnlEcj] 2022
vxgk;.k 22] 1944 'kd lEor

उत्तर प्रदेश शासन
fo/kk;h vuHkkx&1
————————

संख्या 685 / 79-वि-1–2022-1-क-16-2022
लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2022

————————

अधिसूचना
fofo/k

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक, 2022 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग–8 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य हेतु अग्निशमन तथा आपात सेवा अनुरक्षण और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक
çkjfEHkd

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होगा।

(3) यह किसी भी क्षेत्र में ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न–भिन्न क्षेत्रों तथा इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2- जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,इस अधिनियम में,–

(क) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे किसी अधिकारी से है ,जो इस अधिनियम की धारा 45 में यथा परिभाषित अग्निशमन अधिकारी से कम से कम 02 रैंक उच्चतर हो;

(ख) 'भवन' तात्पर्य वही होगा जो उसके लिए सुसंगत नगरपालिका विधि अथवा उस क्षेत्र ,जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो ,में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में समनुदेशित हो ,और इसमें भूमि या भवन या किसी प्राधिकृत या अन्यथा रुप में भूमि या भवन के आंशिक भाग से समाविष्ट स्थान या परिसर ,ऐसे भवन या उसके आंशिक भाग से सम्बन्धित बाह्य गृह , यदि कोई हो ,और पेट्रोल ,डीजल या गैस लाइनें ,प्रतिष्ठान या पम्प सम्मिलित हैं ;

(ग) 'भवन उपविधियों' का तात्पर्य किसी सुसंगत नगर पालिका विधि के अधीन बनायी गयी भवन उपविधियों ,नियमों तथा विनियमों से है और इनमें विकास नियंत्रण नियम या विनियम ,उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाये ,अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाये गये कोई अन्य भवन नियम या विनियम सम्मिलित हैं और वे ऐसे क्षेत्र में हों ,जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो;

(घ) 'भारतीय मानक ब्यूरो' का तात्पर्य भारतीय मानक अधिनियम , 2016 (अधिनियम संख्या 11 सन् 2016) के अधीन स्थापित भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय से है ;

(ङ) 'उपविधि' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अधीन बनाए गये अग्निशमन सुरक्षा विनियमों या प्रतिमानों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों ,वास्तविक प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित भवन उपविधियों , तेल-उद्योग सुरक्षा निदेशालय के मार्गदर्शक सिद्धान्तों ,पेट्रोलियम अधिनियम तथा नियमों ,अग्निशमन से सम्बन्धित भारतीय विस्फोटक अधिनियम और नियमों अथवा समय-समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित किन्ही सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धान्तों से है ;

(च) 'निदेशक' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(छ) 'महानिदेशक' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(ज) 'आपदा' का तात्पर्य समय -समय पर यथा संशोधित आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 , (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) में यथा परिभाषित आपदा से है ;

(झ) 'आपात' का तात्पर्य आपदा सहित किसी ऐसी गम्भीर स्थिति या घटना से है ,जो अप्रत्याशित रुप में घटित होती है ,जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अग्निशमन तथा आपात सेवा की तत्काल कार्यवाही की मांग होती है;

(ञ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ट) 'वास्तविक प्राधिकरण' में स्थानीय प्राधिकरण ,विकास प्राधिकरण ,नगर पालिका ,नगर निगम , आवास विकास परिषद या भवन योजना अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण सम्मिलित हैं ;

(ठ) 'परिनिर्माणकर्ता' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति -समूह से है ,जो नियमित हो ,या अन्यथा रुप में हो ,जो नियमित या अस्थायी आधार पर लोगों के व्यवसाय हेतु कोई पण्डाल या कोई संरचना परिनिर्मित करता है ,या बनाता है;

(ड) 'अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों' का तात्पर्य इस निमित्त बनायी गयी नियमावली में विहित अग्नि सुरक्षा तंत्र सहित ऐसे उपायों से है ,जो अग्नि की परिरुद्धता ,नियन्त्रण तथा शमन के लिए और अग्नि की स्थिति में जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार आवश्यक हों ;

(ढ)'अग्नि सुरक्षा अधिकारी' का तात्पर्य कतिपय परिसरों और भवनों में प्रतिष्ठापित अग्नि रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट ऐसे परिसरों और भवनों के स्वामी या अध्यासी द्वारा इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ण)'अग्निशमन अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अग्निशमन केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय रोपण स्थलों हेतु राज्य द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है ;

(त) 'अग्निशमन केन्द्र' का तात्पर्य अग्निशमन सम्बन्धी उपस्करों ,उपकरणों और कर्मचारिवृंद को आवासित करने हेतु परिनिर्मित ऐसे किसी भवन से है ,जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अग्निशमन केन्द्र या अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों के रुप में सामान्यतः या विशिष्टतः घोषित हो ;

(थ)'निधि' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन गठित निधि से है ;

(द) 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य किसी नगर पालिका परिषद ,नगर पालिका ,नगर महापालिका ,नोटिफाइड एरिया कमेटी ,टाउन एरिया कमेटी ,जिला परिषद ,छावनी परिषद ,क्षेत्र समिति ,ग्राम सभा या स्थानीय स्वशासन के प्रयोजनार्थ गठित किसी अन्य प्राधिकरण या नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन सहित राज्य सरकार के प्रति विधिक रूप से हकदार या उसके द्वारा न्यास कृत ग्राम प्रशासन से है ;

(ध) 'स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा से है ;

(न)'राष्ट्रीय भवन संहिता' का तात्पर्य भवनों ,स्थानों ,परिसरों ,कार्यशालाओं ,भण्डारगारों तथा उद्योगों में क्रियान्वित किये जाने हेतु अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से युक्त भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पुस्तक या पुस्तकों से है ;

(प) 'अध्यासन' का तात्पर्य ऐसे प्रमुख अध्यासन से है ,जिसके लिए कोई भवन या भवन का कोई आंशिक भाग प्रयुक्त किया जाता है या उसका प्रयुक्त किया जाना आशयित है जिसमें ऐसे सहायक अध्यासन सम्मिलित हैं ,जो उस पर समाश्रित हैं;

(फ) 'अध्यासी' का तात्पर्यः–

(एक) ऐसे किसी व्यक्ति से है ,जो तत्समय ऐसी भूमि या भवन ,जिसके सम्बन्ध में किराये का संदाय किया जाता हो /या संदेय हो ,के किराये या उसके आंशिक भाग का संदाय भवन स्वामी को कर रहा हो या संदाय करने का दायी हो ;

(दो) अपनी भूमि या भवन में अध्यासित या उसका अन्य रूप में उपयोग करने वाले किसी स्वामी से है ;

(तीन) किसी भूमि या भवन के निःशुल्क किरायेदार से है ;

(चार) किसी भूमि या भवन के अध्यासित लाइसेंसधारी से है ;और

(पांच) ऐसे किसी व्यक्ति से है ,जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अध्यासन हेतु भवन स्वामी को क्षतियों का संदाय करने के लिए दायी हो।

(ब) 'स्वामी' में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है ,जो तत्समय किसी अभिकर्ता ,न्यासी ,संरक्षक या प्रापक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में किसी भूमि या भवन का किराया अपने खाता में या अपने तथा अन्य के खाता में प्राप्त करने का हकदार हो अथवा जिसे इस प्रकार किराया प्राप्त करना चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए यदि भूमि या भवन या उसका आंशिक भाग ,किरायेदार को किराया पर दिया गया हो ;

(भ) 'पण्डाल' का तात्पर्य ऐसे छत या दीवारों वाले अस्थायी संरचना से है ,जो पुआल ,फूस ,उलू , तृण ,गोलपट्टा ,होगला ,डर्मा ,मैट ,कैनवास ,वस्त्र या ऐसी अन्य समान प्रकार की सामग्री से निर्मित हो ,जो स्थायी या निरन्तर अध्यासन के लिए ग्रहण नहीं किया जाता है ;

(म) 'द्वितीय अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है ,जो इस अधिनियम की धारा 45 में यथा परिभाषित अपील प्राधिकारी से कम से कम एक रैंक उच्चतर हो ;

(य) 'स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद्' का तात्पर्य अग्निशमन सेवा से सम्बन्धित प्राविधिक समस्याओं का परीक्षण करने और भारतीय मानक संस्थाओं के माध्यम से अग्निशमन उपकरणों का मानकीकरण सहित मामलों में भारत सरकार को संस्तुति करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित सलाहकार निकाय से है ;

(र) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ल) 'अर्ह अभिकर्ता' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है ,जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन के क्षेत्र में प्राविधिक विशेषज्ञता हो और जिसके पास अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में पर्याप्त विषयगत ज्ञान और उपलब्धियां हों ।

अध्याय–दो

अग्निशमन तथा आपात सेवा का संगठन,अधीक्षण,नियंत्रण और अनुरक्षण

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अग्निशमन तथा आपात सेवा की स्थापना

3 -(1) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अग्निशमन तथा आपात सेवा होगी और अग्निशमन तथा आपात सेवा के समस्त अधिकारी और अधीनस्थ रैंक के कार्मिक , अग्निशमन तथा आपात सेवा की किसी शाखा में तैनात किये जाने योग्य होंगे:

परन्तु यह कि राज्य सरकार,सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी अग्निशमन दल या किसी अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा ,चाहे जिस नाम से पुकारा जाय ,को यह घोषित कर सकती है कि उक्त दल या सेवा किसी भी समय राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग होगा अथवा नही होगा :

परन्तु यह और कि यह उपबंध ,किसी विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग के ,स्वामी या अध्यासी द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट भवन या उद्योग हेतु अग्नि सुरक्षा आच्छादन का उपबंध करने के लिए अनुरक्षित निजी अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के निमित्त लागू नहीं होगा ।

(2) इस अधिनियम अथवा स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी अग्निशमन दल या अग्नि रोकथाम से सम्बन्धित सेवा को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांकों से राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा का अंग घोषित कर सकती है।

(3) अग्नि के फलस्वरुप हुई आपदा से भिन्न किसी आपदा में सहायता करने के उद्देश्य से समस्त अग्नि शमन सेवाएं आपात सेवाएं मानी जायेंगी :

परन्तु यह कि यदि जहाँ आपात सेवा केवल अग्निशमन से संबंधित न हो वहाँ आपात सेवा के प्रभारी प्राधिकारी के विनिश्चय और निदेश अभिभावी होंगे ।

अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होना

4-सम्पूर्ण राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण और उस पर नियंत्रण ,राज्य सरकार में निहित होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा ,ऐसे अग्निशमन अधिकारियों जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर नियुक्त करे ,के माध्यम से इस अधिनियम और/या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासित की जायेगी।

अग्निशमन तथा आपात सेवा का गठन और वर्गीकरण

5-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभिन्न रैंकों के उतनी संख्या में कर्मचारिवृंद होंगे और उसमें ऐसे संगठन होंगे तथा उसकी ऐसी शक्तियां ,कृत्य तथा कर्तव्य होंगे ,जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार नियमावली में निम्नलिखित को विहित कर सकती है:–

(एक) राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के भिन्न-भिन्न पद ;

(दो) कर्मचारिवृंद की भर्ती की रीति ,पद का ग्रेड ,अर्हता ,वेतन ,भत्ते और उक्त सेवा में विनियोजित अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद की अन्य सेवा शर्तें।

(3) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य में विद्यमान अग्निशमन तथा आपात सेवा की पद्धति की समीक्षा कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो उसे उपान्तरित कर सकती है :

परन्तु यह कि स्थानीय अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु इस उपधारा के अधीन निर्मित नियमावली में कर्मचारिवृंद की भर्ती की रीति ,वेतन ,भत्ते तथा तत्सम्बन्धी मामले सम्मिलित नही होंगे।

(4) इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व के दिनांक को किसी प्राधिकरण के विद्यमान अग्निशमन दल या अग्निशमन तथा आपात सेवाओं के अग्निशमन अधिकारी या कर्मचारिवृंद या कर्मचारी (जिस भी पदनाम से पुकारा जाय) के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर पद धारण करता रहेगा जैसा कि उसके लिए ऐसे दिनांक के ठीक पूर्व प्रयोज्य थे और वह पूर्व की भांति तथा इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों तथा कर्तव्यों के अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निष्पादन करेगा ।

महानिदेशक और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की नियुक्ति

6-(1) राज्य सरकार ,पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी को महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के रुप में नियुक्त करेगी ,जिसे आगे महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा जायेगा ,जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों तथा अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा ,जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट हैं और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगी ।

(2) राज्य सरकार अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में वास्तविक अर्हता ज्ञान ,अनुभव तथा विश्वसनीय उपलब्धियों से युक्त अग्निशमन अधिकारी को निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा नियुक्त करेगी ,जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा ,जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विनिर्दिष्ट हों ।

(3) राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा की सहायता हेतु ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति करेगी ,जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो ।

(4) राज्य सरकार के नियंत्रण ,निदेशों तथा अधीक्षण के अध्यधीन महानिदेशक तथा निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ,जैसा कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाय तथा उस पर अधिरोपित किया जाय ।

महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की शक्ति, कर्तव्य तथा कृत्य

7-(1) महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार के अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन अग्निसुरक्षा तथा उसकी रोकथाम ,अग्निशमन उपस्करों ,मशीनरी तथा उपकरणों ,प्रशिक्षण ,व्यक्ति पर्यवेक्षण , पारस्परिक सम्बन्धों की घटनाओं ,कर्तव्य आवंटन ,विधि अध्ययन ,आदेशों तथा कार्यवाहियों की रीतियों से संबंधित समस्त मामलों और सुसंगत राज्य नियमावली के अनुसार अपने अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के अग्निशमन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा किये जाने तथा उनके मध्य अनुशासन बनाये रखने के कार्यकारी विवरण के समस्त मामलों के लिये निदेश देगा और उनका विनियमन करेगा ।

(2) धारा 6 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा,–

(**एक**) कार्यालय महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ;

(**दो**) अग्निशमन तथा आपात सेवा के विकास हेतु राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करेगा;

(**तीन**) राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के विकास के सम्बन्ध में नीतियां निर्मित करेगा और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने पर उन्हें क्रियान्वित करने हेतु कदम उठायेगा ;

(**चार**) प्राधिकारियों द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपस्कर , अग्निशमन सम्पत्ति और अग्निशमन मानव शक्ति की समय -समय पर समीक्षा के सम्बन्ध में योजनाएं और प्रस्ताव तैयार करेगा और उन्हे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ;

(**पाँच**) प्रचण्ड अग्निकाण्ड ,गृह ध्वंस और अन्य आपात सेवाओं के मामलों में प्रभावी कदम उठायेगा या उठवाएगा और उपाय करेगा तथा करवायेगा ;

(**छः**) अग्नि के कारण का अन्वेषण करेगा या अन्वेषण करायेगा और अग्निशमन सम्बन्धी सावधानी के उपायों को क्रियान्वित करने हेतु प्राधिकारियों को परामर्श देगा ;

(**सात**) अग्निशमन सेवा कर्मी के प्रत्येक स्तर पर विहित कार्यों के अनुसार प्रभावी मानव संसाधन विकास नीतियों को क्रियान्वित करेगा और उक्त प्रयोजनार्थ वह उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सकता है ;

(**आठ**) राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा के मानक का अद्यतनकरण करने की दृष्टि से राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा;

(**नौ**) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा , जैसा कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या तद्धीन प्रदत्त ,अधिरोपित या आवंटित किया जाय ।

अग्निशमन सेवाओं की स्थापना

8-(1) कतिपय उद्योगों और वृहद वाणिज्यिक तथा व्यवसायिक अधिष्ठानों एवं भवनों में जनसंख्या तथा संभाव्य अग्नि सम्बन्धी खतरों और उपबंधित एवं अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित अग्निशमन केन्द्रों को दृष्टिगत रखते हुए अग्निशमन सेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद का उपबंध करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार राज्य के भीतर अग्निसुरक्षा तथा जीवन सुरक्षा उपायों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उतने अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों का सृजन कर सकती है ,जैसा कि वह उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना में अग्निशमन केन्द्रों और उनसे सम्बन्धित अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की सीमाएं परिभाषित होंगी और प्रशासनिक तथा संचालनात्मक दक्षता हेतु आवश्यक अग्निशमन केन्द्रों तथा अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की सीमाओं तथा विस्तार को परिनिश्चित किया जायेगा ।

अग्निशमन अधिकारियों की नियुक्ति,शक्तियाँ,कर्तव्य तथा कृत्य

9-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार,—

(क) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिए निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा प्राधिकृत अग्निशमन केन्द्र द्वितीय अधिकारी से अनिम्न रैंक के एक अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है जो अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी होगा और निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अग्निशमन सेवा के आकार के अनुसार अग्निशमन केन्द्र का प्रभार धारण करेगा ;

(ख) उसके पास अग्निशमन केन्द्र से उसके अधीन सम्बद्ध ऐसे कर्मचारिवृंद होंगे ,जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय ;

(ग) वह अपने अग्निशमन केन्द्र के क्षेत्रों के भीतर संचार प्रणाली हाईड्रेन्ट्स सहित जल संसाधनों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा संचालन का प्रभारी होगा ;

(घ) अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों ,यदि कोई हों ,हेतु समान व्यवस्थाओं का उपबन्ध किया जा सकता है ।

अग्निशमन अधिकारियों की शक्तियां,कर्तव्य तथा कृत्य-

(2) अग्निशमन अधिकारियों की शक्तियां ,कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगेः—

(क) महानिदेशक के नियंत्रण ,निदेश तथा अधीक्षण के अध्यधीन अधिनियम की इस धारा की उपधारा) 1 (के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी ,ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसाकि उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली द्वारा प्रदत्त तथा अधिरोपित किये जायं ;

(ख) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अग्निशमन रोकथाम तथा आपदा के मामले में इस धारा की उपधारा) 1 (के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी या अधिकारीगण अपनी अधिकारिता के निमित्त किसी अग्नि या आपात स्थिति में उस घटना हेतु अन्य अग्निशमन कार्य तथा आपात सेवा में विनियोजित व्यक्ति उसके अधीन कार्य करेंगे ।

अन्य अधिकारियों की नियुक्ति,शक्तियाँ,कर्तव्य तथा कृत्य

10-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ,राज्य सरकार प्रशासनिक प्रयोजनों तथा अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थल हेतु समय-समय पर यथा-आवश्यक अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति , अर्हताएं और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि नियमावली में विहित किया जाय ।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ,राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अबाध रूप से शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान अग्निशमन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करने हेतु ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाय ।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

11-(1) अग्निशमन तथा आपात सेवा में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में प्रमाण -पत्र प्राप्त करेगा और तदोपरान्त ऐसे व्यक्ति के पास इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी की शक्तियां ,कृत्य और विशेषाधिकार होंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र निष्प्रभावी हो जायेगा ,जब उसमें नामित व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा का कर्मचारी होने से किसी कारणवश प्रविरत हो जायेगा ,और ऐसा कर्मचारी होने से उसके प्रविरत होने पर उसे तत्काल उक्त प्रमाण -पत्र प्राप्त करने हेतु सशक्त किसी अधिकारी को उक्त प्रमाण -पत्र अभ्यर्पित करना होगा ।

(3) कोई नियुक्ति प्रमाण-पत्र अकृत हो जायेगा ,जब उसमें नामित व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा से प्रविरत हो जायेगा और उक्त अवधि के दौरान वह अक्रियाशील रहेगा और ऐसा व्यक्ति अग्निशमन तथा आपात सेवा से निलम्बित कर दिया जायेगा ।

(4) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी अपनी सेवा की निबन्धन एवं शर्तों और अन्य समस्त सम्बन्धित मामलों में ऐसी नियमावली से शासित होंगे ,जैसा कि राज्य सरकार के सेवकों के लिए लागू हो ।

सहायक अग्निशमन तथा आपात सेवा

12- जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अग्निशमन तथा आपात सेवा में वृद्धि किया जाना आवश्यक है तो वह ऐसे क्षेत्र हेतु तथा ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह नियमावली के अनुसार उचित समझे ,स्वयं सेवकों का नामांकन करके सहायक सेवा में वृद्धि कर सकती है ।

अग्निशमन अधिकारी के निलम्बन का प्रभाव

13- किसी अग्निशमन अधिकारी में निहित शक्तियां , कृत्य तथा विशेषाधिकार तब तक निलम्बित रहेंगे जब तक ऐसा अग्निशमन अधिकारी निलम्बनाधीन रहेगा :

परन्तु यह कि ऐसे निलम्बन के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति उन्ही प्राधिकारियों के नियंत्रण के अध्यधीन रहेगा, जिसके अधीन वह रहता, यदि वह निलम्बनाधीन न होता।

अध्याय–तीन

अग्निशमन तथा आपातकालीन सहयोग

पुकारे जाने पर सहयोग

14- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अग्निशमन अधिकारी ,नियमावली में विहित मानक संचालनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार समस्त अग्निशमन तथा आपात से सम्बंधित पुकारों के लिए सहयोग करेगा। किन्हीं अन्य आपातों से सम्बंधित पुकारों को भी आदेश द्वारा तथा नियमावली के अनुसार अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा अंगीकृत किया जायेगा।

कार्मिक और उपस्करों का पैमाना

15 - निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट किसी अग्नि दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान तात्कालिक कर्तव्यों के निमित्त अग्निशमन तथा आपात सेवा संसाधनों, उपस्करों तथा अग्निशमन कर्मियों को अभिनियोजित करना होगा।

संचालनात्मक प्रबंधन

16 - निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को कर्मचारिवृंद के नियोजन , आयोजन तथा अभियोजन का विवरण उपलब्ध कराना होगा और नियमावली के अनुसार नियमित स्थलीय अनुश्रवण सुनिश्चित करना होगा ।

अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शक्तियाँ

17 - किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो , में अग्नि और / या बचाव के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई भी सदस्य, जो मौके पर अग्निशमन प्रचालनों का प्रभारी हो,–

(**क**) ऐसे किसी व्यक्ति को हटा सकता है, या उसे हटाने के लिए अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अन्य सदस्य को आदेश दे सकता है जो अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति को बचाने हेतु कार्य संचालन में हस्तक्षेप करता हो या उसमें व्यवधान डालता हो;

(**ख**) ऐसे किसी सड़क या मार्ग को बंद कर सकता है जिस पर या जिसके निकट अग्नि बुझाई जा रही हो और/या बचाव कार्य प्रगति पर हो;

(**ग**) अग्नि बुझाने और बचाव कार्य संचालित करने के प्रयोजनार्थ तथा अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ यथा सम्भव कम से कम क्षति पहुँचाते हुए हौज या उपकरण मार्ग बनाने हेतु किसी परिसर या उसके माध्यम से प्रवेश कर सकता है या उन्हे गिरवा सकता है :

परन्तु यह कि ऐसे /किसी परिसर के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को हुई क्षति की सीमा तक युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान नियमावली में यथा विहित रीति से किया जायेगा;

(**घ**) क्षेत्र के जलापूर्ति प्रभारी प्राधिकारी से मुख्य जल स्रोतों को विनियमित करने की अपेक्षा कर सकता है ताकि अग्नि लगने वाले स्थान पर विनिर्दिष्ट दबाव के साथ जलापूर्ति की जा सके और ऐसी अग्नि को बुझाने या फैलने से रोकने तथा बचाव कार्य संचालनों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ किसी झरना , सिस्टर्न, कुआँ या तालाब अथवा सार्वजनिक या निजी उपलब्ध किसी जल स्रोत से जल का उपयोग कर सकता है;

(**ङ**) अग्नि कार्य संचालनों में संभाव्य रूप में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति-समूह को तितर-बितर करने के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है मानों वह किसी पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी हो और मानो ऐसी भीड़ अविधिमान्य भीड़ हो और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के संदर्भ में ऐसे अधिकारी के रूप में उसी प्रतिरक्षा तथा संरक्षण हेतु हकदार होगा;

(**च**) अग्नि बुझाने तथा बचाव कार्य संचालनों में लगे अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मियों के लिए जानबूझ कर व्यवधान डालने तथा बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और समय , दिनांक तथा गिरफ्तारी का कारण उल्लिखित करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी सहित अविलम्ब उसे किसी पुलिस अधिकारी को या निकटतम पुलिस थाना पर सौंप सकता है;

(**छ**) किसी क्षेत्र में लगने वाली आग से निपटने के प्रयोजनार्थ यथाविहित निबंधनों पर सुनिश्चित करने हेतु अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ दोनों कर्मियों या उपकरणों को नियोजित तथा अनुरक्षित करने वाले किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकता है;

(**ज**) अग्नि बुझाने या जीवन या सम्पत्ति का संरक्षण या दोनों करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

अध्याय–चार

जल आपूर्ति

आपात के दौरान जल आपूर्ति की व्यवस्था करने की शक्ति

18 - अग्नि बुझाने के कार्य संचालनों के दौरान और अपेक्षित अवसरों पर ऐसे क्षेत्र में किसी जल स्रोत ,जिसे वह आवश्यक समझे, से जल निकालना निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन कार्य संचालनों के अग्निशमन अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा और प्राधिकारी या स्वामी या ऐसे जल स्रोत पर नियंत्रण रखने वाले अध्यासी को उस प्रयोजनार्थ यथा विहित दरों पर जल आपूर्ति करनी होगी।

जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का कर्तव्य

19 - निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्नि की समस्त युक्तियुक्त स्थिति में नियमावली के अनुसार उपयोग हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध होगी, समस्त युक्तियुक्त उपाय करने होंगे ।

जल आपूर्ति के लिए करार करने की शक्ति

20 - निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी नियमावली में विहित तृतीय पक्षकार को संदाय करने हेतु प्रक्रियाओं तथा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जलापूर्ति की मांग और जल की आपात आवश्यकता को पूरा करने के लिये किसी अभिकरण के साथ करार कर सकता है ।

जल आपूर्ति बाधित होने पर किसी प्रतिकार का न होना

21 - किसी क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रभारी प्राधिकारी धारा 17 के खण्ड (घ) के अनुपालन में हुए किसी प्रकार की जल आपूर्ति व्यवधान के कारण क्षति हेतु प्रतिकर के लिए कोई दावा करने का दायी नहीं होगा।

जल का प्रतिकर

22 - अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा अग्नि बुझाने के कार्य संचालनों में उपभोग किये गये जल हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्रभार ग्रहण नहीं किया जाएगा।

अध्याय–पाँच

अग्नि तथा आपात रोकथाम हेतु सामान्य उपाय और जीवन सुरक्षा के उपाय

रोकथाम संबंधी उपाय

23-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के प्रयुक्त परिसरों या किसी श्रेणी के परिसरों , जिनसे उसकी राय में अग्नि का खतरा होना सम्भाव्य हो , के स्वामी या अध्यासी से ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकती है ।

(2) जहां ऐसी अधिसूचना जारी की गयी हो वहाँ निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह अग्नि लगने की सम्भावित खतरों वाली वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर हटाने का निदेश दे और ऐसा करने के लिए स्वामी या अध्यासी के विफल होने पर निदेशक या अग्निशमन अधिकारी, स्वामी या अध्यासी को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी वस्तुओं या सामानों को जब्त कर सकता है, निरूद्ध कर सकता है या हटा सकता है ।

(3) निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह सुनिश्चित करना होगा कि अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय निर्माण स्थलों की अग्निशमन तथा आपात प्रबंधन योजनायें , संबन्धित जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए ।

पंडालों में अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का स्व विनियामक होना

24- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 23 के अधीन विहित अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपाय करने हेतु पण्डाल परिनिर्मित किया जाना स्व विनियामक समझा जायेगा ।

(2) पंडाल परिनिर्माणकर्ता को पंडाल के प्रमुख स्थान पर विहित प्रपत्र में और अपने हस्ताक्षर से इस आशय की घोषणा प्रदर्शित करनी होगी कि उसने उसमें राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समस्त विहित अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों को ग्रहण किया है ।

(3) निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपधारा)2) के अधीन परिनिर्माणकर्ता द्वारा कृत घोषणा की सत्यता को सत्यापित करने और विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के निदेश के साथ त्रुटियाँ, यदि कोई हों ,इंगित करने की दृष्टि से पण्डाल में प्रवेश करे और निरीक्षण करे। यदि इस प्रकार दिये गये समय के भीतर निरीक्षणकर्ता अधिकारी के निदेशों का अनुपालन नही किया जाता है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी उक्त पण्डाल को सीलबंद कर देगा ।

(4) किसी पण्डाल परिनिर्माणकर्ता, जो यह मिथ्या घोषणा करता है कि उसने पण्डाल में विहित अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है, को इस अधिनियम की धारा 39 के अधीन दंडनीय अपराध किया हुआ समझा जायेगा।

अग्नि लगने के सम्भावित खतरा वाले या अग्नि बुझाने में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों का हटाया जाना

25-(1) जहाँ धारा 23 तथा धारा 24 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई हो वहाँ निदेशक , अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिये यह विधिमान्य होगा कि वह अतिक्रमणों या अग्नि लगने की सम्भावित खतरा वाली वस्तुओं या अग्नि बुझाने में किसी प्रकार के व्यवधान को किसी सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिये निदेश दे और यथास्थिति स्वामी, अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को ऐसा करने में विफल होने पर निदेशक या अग्निशमन अधिकारी ,यथास्थिति स्वामी, अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उक्त मामले का न्याय निर्णयन करने का अनुरोध करते हुए उक्त मामले की रिपोर्ट उस उप जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में परिसर या भवन या पंडाल स्थित हो:

परन्तु यह कि जहाँ निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा ऐसे अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों को अग्नि लगने का आसन्न खतरा या अग्नि बुझाने हेतु व्यवधान मानता हो वहाँ वह ऐसे परिसर या भवन के स्वामी या अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को अतिक्रमण या वस्तुओं या सामानों को तत्काल हटाने के लिये निदेश दे सकता है और तदनुसार उक्त मामले की रिपार्ट उपजिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट ऐसी रीति, जैसा कि वह उचित समझे, से तामील की गयी नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण या अग्नि लगने की सम्भावित खतरा वाली वस्तुओं या सामानों या अग्नि बुझाने में व्यवधान को हटाये जाने के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति स्वामी या अध्यासी या परिनिर्माणकर्ता को प्रत्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उप जिला मजिस्ट्रेट विहित नियमावली के अनुसार ऐसे अतिक्रमणों या वस्तुओं या सामानों को जब्त करने, निरूद्ध करने या हटाने का आदेश दे सकता है।

(4) उपधारा (3) में कृत आदेश के निष्पादन हेतु प्रभारित व्यक्ति तत्काल उन वस्तुओं तथा सामानों की सूची उसी समय तैयार करेगा जिन्हें वह ऐसे आदेश से जब्त करेगा और जब्ती के समय उक्त वस्तुओं के कब्जाधीन व्यक्ति को इस निमित्त विहित रीति से एक लिखित नोटिस देगा कि उसमें उल्लिखित उक्त वस्तुओं या सामानों का विक्रय कर दिया जायेगा, यदि उन वस्तुओं का दावा उक्त नोटिस में नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन दी गयी नोटिस के अनुसरण में जब्त की गयी वस्तुओं का दावा करने में ऐसे व्यक्ति, जिसके कब्जाधीन उक्त वस्तुएं व सामान कब्जा के समय थे ,के विफल होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार सार्वजनिक निलामी द्वारा उन वस्तुओं को विक्रीत कर देगा।

अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का उपबंध करने का स्वामी या अध्यासियों का उत्तरदायित्व

26-(1) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता पृथक-पृथक वास्तविक प्राधिकरणों की उपविधियों, किसी अन्य विधि या उपविधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमावली द्वारा वर्गीकृत भवन या उसके आंशिक भाग के स्वामी या अध्यासी ,जो वैयक्तिक या संयुक्त रूप से उत्तरदायी हों , को उसमें अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा के उपायों का उपबंध करना होगा:

परन्तु यह कि यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को,—

(एक) उपविधियों में यथा उपबंधित न्यूनतम अग्नि बुझाने और जीवन सुरक्षा प्रतिष्ठापनों का उपबंध करना होगा;

(दो) अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को उपविधियों में विनिर्दिष्ट रीति और विशिष्टताओं के अनुसार सदैव सक्रिय स्थिति में अनुरक्षित रखना होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यासन प्रमाण -पत्र जारी करने हेतु सशक्त कोई प्राधिकारी उक्त प्रमाण-पत्र तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि स्वामी या अध्यासी ने वैयक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से इस धारा की उपधारा (1) में दिये गए उपबंध का अनुपालन कर लिया है।

(3) लागू विद्यमान भवन उप विधियों और राज्य द्वारा उपविधियों कें प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित भवनों को अग्निशमन तथा आपात सेवा से"अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र "प्राप्त करना होगा,—

(एक) 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिले भवन;

(दो) राष्ट्रीय भवन संहिता , 2016 में यथा परिभाषित विशेष भवन यथा शैक्षिक , संस्थागत सभागत, व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भंडारण संबंधी तथा खतरनाक भवन,—

(तीन) 500 वर्ग मीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल वाले पूर्वोक्त किसी अध्यासन के साथ मिश्रित अध्यासन।

(4)उपधारा (3) के अधीन भवन स्वामियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे बहुमंजिले या विशिष्ट भवनों में विहित नियमावली के अनुसार अग्नि रोकथाम या उसे बुझाने हेतु अग्नि रोकथाम ,अग्निशमन तथा जीवन सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा तंत्र लगाया जाय ;

(5)यथास्थित स्वामी या अध्यासी को अग्निशमन अधिकारी का इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा तद्धीन यथा अपेक्षित अपने भवन या उसके आंशिक भाग में अग्निरोकथाम ,अग्निशमन तथा जीवन सुरक्षा उपायों के अनुपालन के संबंध में किसी अर्ह अभिकरण द्वारा जारी विहित प्रपत्र में एक प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा और इस धारा की उपधारा (1)में यथा विनिर्दिष्ट अच्छे मरम्मत युक्त तथा पर्याप्त स्थिति में अग्निरोकथाम तंत्र के अनुरक्षण के सम्बन्ध में वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई माह में विहित प्रपत्र में अग्निशमन अधिकारी को भी प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(6) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता या इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट अर्ह अभिकर्ताओं से भिन्न व्यक्ति ,अग्निरोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों का उपबंध करने का कार्य नही करेगा अथवा किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में करने हेतु अपेक्षित ऐसे अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों का निष्पादन नही करेगा।

अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाना

27-(1) अग्निशमन अधिकारी को यथास्थिति स्वामियों या अध्यासियों या आवेदकों द्वारा स्वतन्त्र रुप से या संयुक्त रुप से कृत धारा 26 की अपेक्षाओं के संबंध में अनुपालनों की संवीक्षा करनी होगी और आवश्यक जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् इस शर्त के अध्यधीन आवेदन करने के एक माह के भीतर अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करना होगा कि समस्त आवश्यक दस्तावेज , अभिकल्प, मानचित्र तथा पूर्णता प्रमाण -पत्र आदि स्वामी, अध्यासी या आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) यदि यथास्थिति स्वामी या अध्यासी ,अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन जारी अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र ,स्वामी या अध्यासी को कारण बताओ की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रदद कर दिया जाएगा।

(3) भवन या परिसर का स्वामी या अध्यासी ,जिसका अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र उसकी ओर से कृत त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया हो ,इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किये जाने के आधार पर भवन या परिसर में अध्यासित होने का हकदार नही होगा।

(4) कोई व्यक्ति ऐसे किसी भवन या उसके आंशिक भाग में स्थापित किसी अग्नि रोकथाम तथा सुरक्षा उपकरण से छेड़ छाड़ नही करेगा ,उसमें परिवर्तन नही करेगा ,उसे नही हटाएगा या उसे क्षतिग्रस्त नही करेगा या उसका नुकसान नही करेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने हेतु दुष्प्रेरित नही करेगा।

अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति तथा कृत्य

28–(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किसी आदेश के माध्यम से यथा विनिर्दिष्ट कारखाना या भवन या परिसर के प्रभावी अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्वामी और अध्यासी या अध्यासीगण को यथास्थिति वैयक्तिक या संयुक्त रुप में,–

(एक) यथा विहित अर्हताओं वाले अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी ;

(दो) अग्निशमन अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी ।

(2) उपधारा (1)के अधीन इस प्रकार नियुक्त अग्निसुरक्षा अधिकारी को विहित प्रपत्र में अग्निशमन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहरबंद नामांकन प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1)के अधीन नियुक्त अग्निसुरक्षा अधिकारी पद की ,त्याग-पत्र के आधार पर या अन्यथा रुप में ,रिक्ति होने की स्थिति में स्वामी या अध्यासी या अध्यासीगण से यथास्थिति वैयक्तिक रुप से या संयुक्त रुप से तत्काल अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में यथा उल्लिखित अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में अग्निशमन अधिकारी ऐसे कदम उठा सकता है जैसाकि वह आवश्यक समझे जिसके अन्तर्गत कारखाना बंद करने हेतु श्रमायुक्त को और अन्य मामले में सुसंगत विधि के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु सुसंगत प्राधिकारी को रिपोर्ट किया जाना सम्मिलित है।

(5) अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को अग्निशमन तथा आपात सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसाकि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय :

परन्तु यह कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय ,नागपुर में अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्था में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्ति से अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

निरीक्षण की शक्ति

29 - (1) अग्निशमन अधिकारी ,अध्यासी को या यदि कोई अध्यासी न हो तो किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग के स्वामी को तीन घण्टे की नोटिस देने के पश्चात् सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य किसी समय ऐसे स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में प्रवेश अथवा निरीक्षण कर सकता है ,जहाँ अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उल्लंघन को अभिनिश्चित करने हेतु ऐसा निरीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत होः

परन्तु यह कि अग्निशमन अधिकारी ऐसे किसी स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है ,यदि ऐसे स्थान ,भवन या उसके आंशिक भाग पर कोई क्रियाशील हो या कोई मनोरंजन चल रहा हो अथवा यदि उसे जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन और आवश्यक प्रतीत हो ।

(2) अग्निशमन अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने हेतु उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग के यथास्थिति स्वामी या अध्यासी द्वारा समस्त सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।

(3) स्वामी या अध्यासी या कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सशक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश के लिए व्यवधान नही डालेगा या व्यवधान नही डालने देगा अथवा निरीक्षणार्थ इस प्रकार प्रवेश करने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को परेशान नही करेगा ।

(4) जब मानव निवास हेतु प्रयुक्त उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में उपधारा (3) के अधीन प्रवेश किया जाय तब अध्यासियों के सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं के लिए सम्यक सम्मान प्रदान किया जायेगा और उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसी महिला ,जो सार्वजनिक रुप से प्रकट न होती हो ,के किसी फ्लैट ,अपार्टमेंट या ऐसे भवन के आंशिक भाग में प्रवेश करने से पूर्व उसे नोटिस प्रदान की जायेगी कि वह वहां से निकलने के लिए स्वतंत्र है और उसे निकलने के लिए प्रत्येक युक्तियुक्त सुविधा प्रदान की जायेगी ।

(5) जहाँ इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन निरीक्षण ,अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया जाये ,वहां उसे सम्बन्धित वास्तविक प्राधिकारी को ऐसे किसी निरीक्षण की रिपोर्ट प्रदान करनी होगी ।

(6) अग्निशमन अधिकारी को इस धारा के अधीन उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग का निरीक्षण पूरा करने के पश्चात् उक्त भवन की ऊंचाई या उक्त स्थान या भवन या उसके आंशिक भाग में की जाने वाली क्रिया-कलापों की प्रकृति के सन्दर्भ में उनमें उपबन्धित की जाने वाली अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों अथवा ऐसे उपायों की अपर्याप्तता या उनका अनुपालन न किये जाने से सम्बन्धित अपेक्षाओं से विचलन या उनका उल्लंघन किये जाने पर अपना दृष्टिकोण अभिलिखित करना होगा और ऐसे भवन या उसके आंशिक भाग को स्वामी या अध्यासी को एक नोटिस ,उसमें यथा विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत उपायों को ग्रहण करने हेतु उसे निर्देशित करते हुए ,जारी करना होगा ।

अग्नि लगने की सूचना

30 - अग्नि लगने से सम्बन्धित कोई सूचना धारण करने वाले किसी व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम अग्निशमन केन्द्र पर तत्सम्बन्ध में सूचना देनी होगी ।

अध्याय-छ:
अपराध और शास्तियाँ

अध्याय-चार (जल आपूर्ति) केउपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ

31- जो कोई अध्याय-चार के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध की गयी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास ,जो छः माह तक हो सकता है ,से या ऐसा जुर्माना ,जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है ,से या दोनो से दण्डनीय होगा और जहाँ अपराध जारी रहेगा वहां एक अग्रतर जुर्माना ,जो ऐसे अपराध के जारी रहने के दौरान प्रथम अपराध के पश्चात् प्रतिदिन तीन हजार रुपये तक हो सकता है ,के साथ दण्डनीय होगा ।

कर्तव्य उल्लंघन के लिए शास्ति

32- ऐसी किसी कार्यवाही ,जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की जा सकती है ,के होते हुए भी , अग्निशमन तथा आपात सेवा का कोई सदस्य ,जो,—

(एक) कर्तव्य के किसी उल्लंघन या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का जानबूझ कर उल्लंघन करने का दोषी पाया जायेगा ;या

(दो) कायरता का दोषी पाया जायेगा ;या

(तीन) पन्द्रह दिनों या उससे अधिक के लिए अनुज्ञा या पूर्व सूचना दिए बिना अपने कार्यालय के कर्तव्यों से प्रत्याहृत रहेगा या प्रविरत रहेगा ;या

(चार) अवकाश पर अनुपस्थित होने के कारण युक्तियुक्त कारण के बिना उक्त अवकाश की समाप्ति पर स्वयं ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने में विफल रहेगा ;या

(पाँच) कोई अन्य नियोजन या पद ग्रहण करेगा या उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली , 1956के उपबंधों का उल्लंघन कर कारोबार में स्वयं को अभिनियोजित करेगा ;

ऐसे कारावास ,जो छह माह तक हो सकता है या जुर्माना ,जो तीन माह के वेतन से अनधिक धनराशि तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

अग्निसुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति न किये जाने की स्थिति में शास्ति

33-(1) यदि किसी भवन या परिसर का कोई स्वामी या अध्यासी या ऐसे स्वामियों और अध्यासियों का संघ, धारा 28 के अधीन अग्निसुरक्षा अधिकारियों की इस निमित्त यथास्थिति निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त नोटिस प्राप्त किये जाने के तीस दिनों के भीतर नियुक्ति करने में विफल रहता है ,तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त रुप से और पृथक-पृथक दोषी माना जायेगा।

(2) जब ऐसे अग्निसुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोषी माना जाए तब निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा यथा अवधारित परिसर स्थित सामान्य क्षेत्रों सहित उसके द्वारा स्वामित्व प्राप्त /अध्यासन प्राप्त कुल निर्मित क्षेत्र के अन्यून दस रुपये प्रति वर्ग मीटर और अनधिक पचास रुपये प्रति वर्ग मीटर की धनराशि ,उसमें प्रत्येक माह की त्रुटि या उसके आंशिक भाग के लिए शास्ति के माध्यम से वसूल की जायेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन जुर्माना स्वरुप धनराशि की वसूली भू -राजस्व के बकाया के रुप में की जाएगी।

प्रतिकर का संदाय करने के लिए संपत्ति स्वामी का दायित्व

34-(1) ऐसा कोई व्यक्ति ,जिसकी संपत्ति में ,उसकी स्वयं की या उसके अभिकर्ता की जानबूझकर या लापरवाही पूर्ण कृत कार्यवाही के कारण अग्नि लग जाती है ,इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन उसमें उल्लिखित किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण अपनी सम्पत्ति की क्षति के भुक्तभोगी किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन समस्त दावे ,क्षति होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी ,पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करेगा और ऐसी धनराशि तथा तद् निमित्त उत्तरदायी व्यक्ति का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा ,और इस प्रकार पारित आदेश में धारा 45 में यथा उल्लिखित तीस दिनों के भीतर किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रवर्तन निहित होगा।

सूचना देने में विफलता

35-ऐसे किसी व्यक्ति ,जो पर्याप्त औचित्य के बिना ,अग्नि लगने के संबंध में अपने पास स्थित सूचना संसूचित करने में विफल रहता है ,को भारतीय दंड संहिता 1860, (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 176 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय अपराध किया हुआ माना जाएगा।

सावधानी बरतने में विफलता

36-जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा या उक्त धारा के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है ,वह ऐसे जुर्माना ,जो दस हजार रुपये तक हो सकता है ,से ऐसी अवधि के कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है , से या दोनों से और जहां अपराध जारी रहता है ,वहां ऐसे अग्रतर जुर्माना ,जो प्रथम अपराध के पश्चात ,जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है ,प्रतिदिन एक हजार रुपये तक हो सकता है ,से दंडनीय होगा।

अग्नि बुझाने तथा बचाव कार्य संचालनों में जानबूझकर व्यवधान डालने के लिए शास्ति

37-ऐसा कोई व्यक्ति ,जो अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य ,जो अग्नि बुझाने संबंधी कार्य संचालनों में अभी नियोजित हो ,के लिए जानबूझकर व्यवधान डालता हो या बाधा उत्पन्न करता हो ,ऐसी अवधि के कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है ,से या ऐसे जुर्माना ,जो दस हजार रुपये तक हो सकता है ,से या दोनों से दंडनीय होगा।

मिथ्या रिपोर्ट

38-ऐसा कोई व्यक्ति ,जो जानबूझकर किसी कथन ,संदेश या अन्यथा के माध्यम से अग्नि लगने की मिथ्या रिपोर्ट ,ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान करता है या प्रदान करवाता है ,ऐसे कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है ,से या ऐसे जुर्माना ,जो दस हजार रुपये तक हो सकता है से या , दोनों से दंडनीय होगा।

अपराध हेतु दंड के सामान्य उपबंध

39-जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है ,वह इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अपने विरुद्ध कृत किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है ,से या ऐसे जुर्माना जो दस हजार रुपये तक हो सकता है ,से या दोनों से और जहां अपराध जारी हो वहां ऐसे अग्रसर जुर्माना ,जो प्रथम अपराध के पश्चात जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकता है ,से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध

40-(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो ,वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी रहा हो या उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो ,साथ ही साथ कंपनी भी ,अपराध के दोषी माने जाएंगे और प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने तथा तद्नुसार दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परंतु यह कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दंड के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या यह कि उसने ऐसा अपराध किए जाने से रोकने के लिए समस्त सम्यक परिश्रम किया था ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि उक्त अपराध कंपनी के किसी निदेशक ,प्रबंधक ,सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है या वह उसकी ओर से कृत किसी उपेक्षा के फलस्वरुप किया गया माना जा सकता है ,वहां ऐसा निदेशक ,प्रबंधक ,सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वह प्रतिकूल कार्यवाही किए जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने का दायी होगा ;

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(**एक**) 'कंपनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्ति संगम सम्मिलित है ;और

(**दो**) किसी फर्म के संबंध में 'निदेशक' का तात्पर्य फर्म के किसी भागीदार से है ।

अपराधों का प्रशमन किया जाना

41- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् कृत किसी अपराध ,जो इस अधिनियम की धारा 36, 37, 38 , 39, या तद्धीन बनायी गई किसी नियमावली के अधीन दंडनीय हो ,का प्रशमन ,अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिकारियों द्वारा ऐसी धनराशि के स्थान पर जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ,किया जा सकता है :

परंतु यह कि ऐसा कोई अपराध प्रशमनीय नहीं होगा ,जो राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से जारी नोटिस ,आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण किया गया हो और जब तक उसका अनुपालन न किया गया हो ,जहां तक अनुपालन संभव हो ।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किया गया हो वहां यदि अपराधी अभिरक्षा में हो तो उसे निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई अग्रतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी ।

सद्भावपूर्वक कृत कार्रवाई का संरक्षण

42-इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गई किसी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किए जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद ,अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

अभियोजन का संज्ञान

43- कोई न्यायालय ,निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत या उससे प्राप्त सूचना के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की कार्यवाही नहीं करेगा ।

अधिकारिता

44-न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ,इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करेगा ।

अध्याय-सात

अपीलें

अपीलें

45-(1) इस अधिनियम के अधीन जारी या कृत उप जिला मजिस्ट्रेट या अग्निशमन अधिकारी या निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी नोटिस या आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ,अपीलीय अधिकारी को नोटिस या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी नोटिस या आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :

परंतु यह कि अपीलीय अधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है ,यदि उसका यह समाधान हो जाए कि इसे उस अवधि के भीतर दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी को अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी तथा उसके साथ विरोध में की गयी अपील की नोटिस या आदेश की प्रति और इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट फ़ीस संलग्न होंगे ।

(3) किसी अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा ।

अध्याय–आठ

प्रषिक्षण

अग्निशमन तथा आपात प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

46- (1) राज्य सरकार राज्य में अग्नि रोकथाम तथा शमन संबंधी अनुदेश पाठ्यक्रमों का उपबंध करने के लिए एक या उससे अधिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है और ऐसे किसी केंद्र को बंद या पुनः स्थापित कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन स्थापित की जाने वाली अकादमी में स्थानीय निकायों और औद्योगिक उपक्रमों के नियंत्रणाधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए और साथ ही साथ यथाविहित प्रभारों का संदाय किए जाने पर अन्य राज्यों के राजकीय अग्निशमन तथा आपात सेवा के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार कर सकती है।

(3) राज्य सरकार अग्नि रोकथाम और उसे बुझाने संबंधी अनुदेश पाठ्यक्रम का उपबंध करने के लिए ऐसी फीस और ऐसी प्रक्रिया विहित कर सकती है ,जैसा कि वह उचित समझे।

(4) शिक्षण के संबंध में सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू सामान्य नियमों के अनुपालन के अध्यधीन अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रबंधन के निमित्त राज्य सरकार के लागत और व्यय पर भारत के भीतर और बाहर किसी संस्थान में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों की वैज्ञानिक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में और अन्य संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

सामुदायिक तैयारी

47 - (1)महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी ,अग्निशमन तथा अन्य आपात स्थितियों में रोकथाम संबंधी उपायों पर सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा ।

(2) अग्निशमन तथा आपात सेवा के नियमों के अनुसार अग्नि रोकथाम से संबंधित मामलों में समुदायों को सहायता और परामर्श प्रदान करेगी।

अध्याय–नौ

अग्निशमन कर ,फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

अग्निशमन कर का उद्ग्रहण

48-(1) ऐसी किन्हीं भूमियों तथा भवनों पर अग्निशमन कर उद्गृहीत किया जा सकता है ,जो इस अधिनियम के प्रवृत्त वाले क्षेत्रों में स्थित हो ,जिन पर संपत्ति कर जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए उस क्षेत्र के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत किया जाता है।

(2) अग्निशमन कर ,संपत्ति-कर पर अधिकार के रूप में ऐसे संपत्ति कर के प्रतिशत के रूप में ऐसी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा समय -समय पर अवधारित करे।

(3) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन लोक प्राधिकरण में निहित या उसके नियंत्रणाधीन या कब्जाधीन किसी भवन पर कोई शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

अग्निशमन कर के निर्धारण, संग्रहण आदि की रीति

49-(1) संपत्तिकर संदाय का निर्धारण करने ,संग्रहण करने और प्रवर्तन करने के लिए सशक्त प्राधिकारी राज्य सरकार की ओर से इस अधिनियम के अध्यधीन बनाई गयी ,किसी नियमावली के अधीन ऐसा कर उद्गृहीत करने हेतु क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी को प्राधिकृत करने वाले विधि के अधीन कर संदाय का निर्धारण ,संग्रहण और प्रवर्तन उसी रीति से करेंगे ,जैसा कि संपत्ति कर का निर्धारण ,संदाय और संग्रहण किया जाता है और इस प्रयोजनार्थ वह पूर्वोक्त विधि के अधीन अपनी समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और विवरणी ,अपील ,समीक्षा ,संदर्भ और शास्तिओं से संबंधित उपबन्धों सहित ऐसी विधि के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

(2) अग्निशमन कर के कुल आगमों के ऐसे भाग ,जैसा कि राज्य सरकार विहित करे ,की कटौती अग्निशमन कर संग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत अग्निशमन कर के आगमो का संदाय ,उनमें संग्रहण लागत से कटौती करके राज्य सरकार को ऐसी रीति से और ऐसे अंतरालों पर किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए

राज्य की सीमाओं से बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा को अभिनियोजित किए जाने पर फीस

50-(1) जहाँ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी ऐसे क्षेत्र ,जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो ,की सीमाओं के बाहर किसी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण के अनुरोध पर ऐसी सीमाओं के निकट अग्नि बुझाने के उद्देश्य से भेजे जाएं ,वहां राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विहित किया जाए ;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस ,यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण को निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा मांग की नोटिस तामील किए जाने के एक माह के भीतर संदेय होगी और यदि उक्त अवधि के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

देयों की वसूली

51 - इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि की वसूली ,भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

अध्याय–दस

अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि

निधि का गठन

52-(1) "अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि " के रूप में ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी अग्निशमन फीस , कर और शास्तियों (जुर्माने से भिन्न) के आगमों को प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक रूप से कृत विनियोजन से तथा तद्धीन संग्रहण और वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात् उपधारा (1)के अधीन गठित निधि में प्रविष्ट कर अन्तरित कर दिया जाएगा ।

(3) उप-धारा (2) के अधीन निधि में अन्तरित कोई धनराशि राज्य की संचित निधि से वसूल की जाएगी।

(4) निधि की धनराशि का व्यय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जायेगा ,जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित हो।

(5) निधि को संबंधित प्राधिकरण के आय-व्ययक प्राक्कलन में दर्शाया जाएगा और तत्सम्बंधी खातों का अनुरक्षण तथा लेखा -परीक्षण सुसंगत विधि या तद्धीन बनायी गयी नियमावली और आदेशों , जो संबंधित प्राधिकरण के लिए लागू हों , पर खातों को अनुरक्षित रखने के प्रयोजनार्थ विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त निधि का उपयोग नियमावली में यथाविहित सामुदायिक तैयारी, अवसंरचना प्रशिक्षण और अग्निशमन उपकरणों के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा ।

अध्याय–ग्यारह

प्रकीर्ण

अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्था

53 - महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लोक हित में पारस्परिक आधार पर करार द्वारा या तद्धीन उपबंधित निबंधनों पर अग्निशमन के प्रयोजनार्थ कार्मिकों या उपस्करों या दोनो का उपबंध करने के लिए ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा या प्राधिकरण, जो उक्त अग्निशमन तथा आपात सेवा को अनुरक्षित करता हो, के साथ करार कर सकता है।

अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा के रूप में घोषणा

54 - किसी विषय पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्यविधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार,सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा घोषित कर सकती है।

अन्य क्षेत्र में अभिनियोजन

55 - महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी, किसी निकटवर्ती क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त न हो, में अग्नि या अन्य आपात अवसर पर ऐसे निकटवर्ती क्षेत्र में अग्निशमन सम्बंधी कार्य संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों सहित अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को भेजने का आदेश दे सकता है और तदोपरान्त इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंध , समय-समय पर यथाविहित प्रभारों के आधार पर अग्नि सम्बंधी आपात के दौरान या ऐसी अवधि के दौरान , जैसा कि निदेशक विनिर्दिष्ट करे , ऐसे क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।

अन्य कर्तव्यों पर नियोजन

56 - राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी बचाव, उद्धारण या अन्य कार्यों, जिस निमित्त वह अपने प्रशिक्षण, उपकरणों तथा उपस्करों के कारण उपयुक्त हो, में अग्निशमन तथा आपात सेवा को नियोजित करे ।

सूचना प्राप्त करने की शक्ति

57 - महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों से इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति की प्रकृति ,उपलब्ध जलापूर्तियों, उनके प्रति पहुँच के साधनों और किन्ही अन्य सारभूत विवरणों के सम्बंध में सूचना प्रदान करने हेतु भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकते हैं और ऐसे स्वामी या अध्यासी को सम्पूर्ण सूचना अपने पास रखनी होगी ।

भवनों या परिसरों को सीलबंद करने की शक्ति

58-(1) जहाँ धारा 29 के अधीन अग्निशमन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर , या स्व-प्रेरणा से महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा को यह प्रतीत होता हो कि किसी भवन या परिसर की दशा , जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक है वहाँ वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से , जिसके कब्जे या अध्यासन में ऐसा भवन या परिसर हो, ऐसे भवन या परिसर से तत्काल हट जाने की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा कृत आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो महानिदेशक ,अग्निशमन सेवा, भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिये क्षेत्रीय अधिकारिता वाले किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को भवन या परिसर से हटाने के लिये निदेश दे सकता है और ऐसे अधिकारी को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1)या उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाये जाने के पश्चात् महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, भवन या परिसर को सील बंद कर देगा।

(4) महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा कृत आदेश के सिवाय कोई व्यक्ति उक्त सील को नहीं हटाएगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवाओं द्वारा कृत आदेश के अधीन के सिवाय ऐसी मुहर को हटाता है, ऐसी अवधि के कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है, से या ऐसे जुर्माना, जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकता है, से या दोनों से दण्डनीय होगा।

सहायता हेतु पुलिस अधिकारी और अन्य कार्मिक

59 - आग बुझाने सम्बंधी कार्य संचालनों या अग्नि के जोखिम से अर्न्तग्रस्त किसी सामान को जब्त करने, निरुद्ध करने या हटाने से संबंधित किन्हीं अन्य कर्तव्यों में पुलिस अधिकारी या पुलिसबल एवं अन्य सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करने में निदेशक या ऐसे अग्निशमन अधिकारी की सहायता करें।

इस अधिनियम **के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन तथा आपात सेवा को इस** अधिनियम **के अधीन गठित अग्निशमन एवं आपात सेवा माना जाना**

60 - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(**एक**) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन एवं आपात सेवा (जिसे इस धारा में आगे विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा गया है) इस प्रकार प्रारंभ होने पर इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन तथा आपात सेवा समझी जाएगी और पद धारण करने वाले विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रत्येक सदस्य को पद धारण करने के लिए , इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया तथा पद धारण करने वाला समझा जाएगा।

(**दो**) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अग्निशमन अधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियाँ, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त माने गये पद धारक की हैसियत से उसके समक्ष लम्बित कार्यवाहियाँ मानी जायेंगी और उन कार्यवाहियों को तद्नुसार व्यवहृत किया जायेगा।

अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्य की मृत्यु

61 - अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य (राजपत्रित अधिकारी से भिन्न) की कर्तव्यरत रहने के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, राज्य सरकार दाह संस्कार के व्यय स्वरूप सगे नातेदार को समुचित धनराशि या ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे, का भुगतान करेगी।

अधिकारियों का लोक सेवक होना

62 - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यरत अग्निशमन तथा आपात सेवा का प्रत्येक कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45सन् 1880) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

विवरणी, रिपोर्ट, कथन आदि की मांग

63 - राज्य सरकार महानिदेशक ,निदेशक, अग्निशमन अधिकारियों एवं कार्य संचालनात्मक कर्मचारियों और अधीनस्थ कार्य संचालनात्मक कर्मचारिवृंद से अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अनुरक्षण तथा कर्तव्य निष्पादन से सम्बंधित किसी विषय पर विवरणी , रिपोर्ट तथा कथनों की मांग कर सकता है और उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

64-(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , ऐसे नियमों में निम्नलिखित उपबंध हो सकते हैं:—

(**क**) राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की भर्ती , वेतन व भत्ते और सेवा की अन्य समस्त शर्तें ;

(**ख**) अग्निशमन केन्द्रों और अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं का गठन ;

(**ग**) नियुक्ति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र और अग्निशमन अधिकारी जिसकी मुहर के अधीन ऐसा नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ;

(**घ**) अग्निशमन कर के संदाय के निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन की रीति ;

(**ङ**) ऐसी रीति, जिसमें संगृहीत अग्निशमन कर का संदाय राज्य सरकार को किया जाएगा ;

(**च**) अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाओं के लिए राज्य निबंधनों की सीमाओं के बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा के अभिनियोजन पर फीस ;

(**छ**) इस अधिनियम के अधीन अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय , घोषणापत्र, अपील, नोटिस और फीस के न्यूनतम मानक ;

(**ज**) अग्निशमन तथा आपात सेवा अकादमी पर अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु शुल्क ;

(**झ**) अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिकारी और अपराधों के प्रशमन के लिए धनराशि ;

(**ञ**) अग्निशमन तथा आपात सेवा को ऐसे उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराना जैसा कि वह उचित समझे ;

(**ट**) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जलापूर्ति कि यह उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा;

(**ठ**) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों और उनके अग्निशमन उपकरणों को समायोजित करने के लिए अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण करना या उनका उपबंध करना या स्थानों को किराये पर लेना;

(**ड**) आग लगने की सूचना दे चुके और आग लगने के अवसर पर अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु प्रभावी सेवा प्रदान कर चुके व्यक्तियों को पुरस्कार देना;

(**ढ**) अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अनुशासन तथा सदाचरण ;

(**ण**) आग लगने की किसी चेतावनी के अवसर पर आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों के साथ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों की शीघ्र उपस्थिति सुनिश्चित कराना ;

(**त**) महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा की शक्तियों ,कर्तव्यों और कृत्यों को विनियमित और नियंत्रित करना ;

(**थ**) सामान्यतः अग्नि तथा आपात सेवा के अनुरक्षण के लिए यथोचित दक्षता की स्थिति बनाये रखना;

(**द**) पंडालों और अस्थाई संरचना की स्थापना को विनियमित करना ;

(**ध**) अग्निशमन अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखना ;

(**न**) अग्निशमन का विवरण और उसकी गुणवत्ता एवं अग्निशमन तथा आपात सेवा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरणों सहित बचाव उपस्कर ,वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अवधारित करना ;

(प) नीतिगत प्रशासन से सम्बंधित किसी प्रयोजन के लिए किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा निधि का संस्थापन, प्रबंधन और विनियमन ;

(फ) समस्त रैंक और ग्रेड के अग्निशमन अधिकारियों के लिये कर्तव्य समनुदेशित करना और ऐसी रीति विहित करना जिसमें और ऐसी शर्तें विहित करना जिसके अध्यधीन वे अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे;

(ब) सामान्यतः अग्निशमन तथा आपात सेवा दक्षता पूर्वक करने और उनके कर्तव्यों के दुरुपयोग या उपेक्षा को रोकने के प्रयोजन के लिए;

(भ) न्यूनतम अर्हता ,वास्तविक ज्ञान और अर्ह अभिकरण का अनुभव ;तथा

(म) कोई अन्य मामला जो नियमावली द्वारा अपेक्षित हो या उपबंधित किया जा सकता है ।

शक्तियों का प्रतिनिधायन

65- (1) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ,ऐसी शर्तों ,यदि कोई हों ,जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों ,के अध्यधीन राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

(2) महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या निदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा ,आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन आदेश में यथा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों , यदि कोई हों ,के अधीन उसे प्रदत किसी शक्ति का प्रयोग और उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य का निष्पादन भी आदेश में विनिर्दिष्ट अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति

66 - (1)यू0पी0 अग्निशमन सेवा अधिनियम ,1944 ,उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम ,2005 ,उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली ,2016 ,उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी /कर्मचारी सेवा नियमावली 2016, और उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश, 2022 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु यह कि ऐसे निरसन को किसी स्थानीय प्राधिकरण के सामान्य उत्तरदायित्व को निम्नलिखित के लिए सीमित करना ,उपांतरित करना या अल्प करना नहीं समझा जायेगा -

(एक) अग्नि बुझाने के प्रयोजनार्थ ऐसी जलापूर्ति तथा अग्नि हाइड्रेंट्स ,जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित किया जाए ,का उपबंध करना और उन्हें अनुरक्षित रखना ;

(दो) खतरनाक व्यापारो का विनियमन करने हेतु उपविधियां बनाना ;

(**तीन**) अपने किसी कर्मचारी को अग्नि बुझाने में सहायता करने हेतु आदेश देना ,जब अग्निशमन सेवा के किसी सदस्य से ऐसा करने के लिए युक्ति युक्त पूर्वक अपेक्षा की जाए ;और

(चार) सामान्यतः ऐसे उपाय करना ,जिनसे अग्नि लगने की संभावना कम हो या अग्नि के फैलाव को रोका जा सके।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ,उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों, अध्यादेश एवं नियमावली के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी ,मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

67-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने हेतु उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश को उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना

68-(1) जहाँ तक अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा से संबंधित उपबंधों का संबंध है वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब इस अधिनियम के अधीन अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों से संबंधित कोई बात की जानी या अनुमोदित की जानी अपेक्षित हो तब ऐसी कोई बात ,केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य रूप से कृत या अनुमोदित की गयी नहीं समझी जाएगी कि तदनिमित्त ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा ,स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी तथ्य से असंबद्ध किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंध प्रभावी होंगे।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रवर्तन वाले किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के उपबंधों के अल्पीकरण में ऊपर यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित बात के अतिरिक्त और उसके सिवाय नहीं होंगे।

अग्निशमन संपत्ति अधियाचन

69 - जहां महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी ,जो अग्निशमन या किसी आपात कार्य संचालन का प्रभारी हो, किसी अन्य प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति के अग्निशमन उपस्कर तथा उपकरण या संपत्ति की अपेक्षा करे ,वहां वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र में अग्नि बुझाने या किन्हीं अन्य आपात स्थितियों के प्रयोजनार्थ ऐसे उपस्कर या संपत्ति को अधियाचित कर सकता है और यथास्थिति प्राधिकरण या किसी संस्था या व्यक्ति से उसका कब्जा गृहीत कर सकता है ।

अधीनस्थ कार्य संचालनात्मक कर्मचारिवृंद की विशेष पदोन्नति

70 - (1) असाधारण वीरता और जीवन तथा संपत्ति को बचाने के कर्तव्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित कर चुके उत्कृष्ट खिलाड़ियों ,निशानेबाजों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए महानिदेशक ,अग्निशमन तथा आपात सेवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों को रिक्तियाँ उपलब्ध होने के अध्यधीन अगले उच्चतर रैंक के लिए बिना पारी पदोन्नति कर सकता है ;

(2) ऐसी पदोन्नति या ऐसे रैंकों में स्वीकृत संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी ;

(3) ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों को उस वर्ष तैयार की गई पदोन्नति सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में विधिक तथा संरचनात्मक रूप से सुसज्जित अग्निशमन तथा आपात सेवा की आवश्यकता है ,जो जीवन सुरक्षा ,बचाव कार्य और अन्य आपात स्थितियों यथा बाढ़ ,भूकम्प ,भवन विध्वंस ,आणविक तथा जैविक परिसंकरों हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित हो ।

पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के निमित्त सम्पूर्ण भारत में अग्निशमन सेवा अधिनियमों में एकरूपता लाये जाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा अंगीकृत किये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा आदर्श अग्निशमन सेवा विधेयक 1958 ,और संशोधित आदर्श अग्निशमन तथा आपात विधेयक 2019 ,परिचालित किये गये थे ।

भविष्य में बढ़ते औद्योगिक विकास ,नगरीकरण ,आपदाओं तथा सम्भावित अग्नि दुर्घटनाओं के कारण यू0पी0 अग्निशमन सेवा अधिनियम , 1944 (यू0पी 0अधिनियम संख्या 3 सन् 1944) और उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2005) आगामी तथा भावी अपेक्षाओं को पूरा करने योग्य नही थे । इसके साथ ही साथ 'अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र ' पूर्वोक्त अधिनियमों का अभिन्न अंग न होने के कारण भवनों तथा परिसरों में अग्नि सुरक्षा तंत्र अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना सम्भव नही था ।

पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा परिचालित आदर्श अग्निशमन तथा आपात विधेयक 2019 ,उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने का विनिश्चय किया गया ।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2022 ,को उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अध्यादेश , 2022 प्रख्यापित किया गया ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव ।